The expansion/modernisation projects are proposed to be funded by the Company out of its internal resources and market borrowings.

मध्य प्रदेश में खनन में प्रयुक्त वैज्ञनिक तकनीकें

970. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन खानों में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक द्वारा खनन कार्य किया गया है;

(ख) इस पर अब तक कितना खर्च हुआ है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए कितने धन का प्रावधान किया गया है; और

(घ) राज्य के छत्तीसगढ़ अंचल में स्थित खानों का आधुनिकीकरण और विस्तार करने के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग): (क) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए खनिज रियायत नियम, 1960 तथा खनिज संरक्षण और विकास नियम 1988 के प्रावधानों के अनुसार प्रमुख खनिजों के बारे में कोई भी खनन पट्टा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि खान के लिए खनन योजना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विधिवत अनुमोदित न कर दी जाए ताकि खानों का वैज्ञानिक विकास तथा खनिजों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में "ए" श्रेणी की खानों, जहां वैज्ञानिक तकनीक द्वारा खनन किया गया, की संख्या क्रमश: 49, 49 तथा 46 थी।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार द्वारा खान मालिकों द्वारा किये गए प्रस्तावित खर्चों का ब्यौरा नहीं रखा जाता।

Review of Special Component Plan for SC/ ST

971. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether any review has been conducted regarding proper implementation of the special component plan to the SC and ST during the last two years; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) (a) Yes, Sir.

(b) During Annual Plan discussions every year, review of Special Component Plan for SCs and Tribal Sub Plan for the STs of the States/ UTs are taken with reference to allocation and utilisation of funds and implementation of schemes specially in core sectors and the concerned authorities of the State Governments/ UT Administrations are apprised of the shortcomings and corrective measures to be taken up. Adequate allocation of funds for Special Component Plant for SCs and Tribal-Sub Plans for STs, adoption of Maharashtra Model for allocation and placement of SCP and TSP funds, making the department concerned with SC development and ST development as nodal department for formulation, implementation etc. of SCP TSP, proper utilisation of SCP and TSP funds, etc. are emphasised during the discussions. Special Component Plan and Tribal Sub-Plan of Central Ministries and Departments are also reviewed. The shortcomings noticed and corrective measures to be taken are conveyed to the Central Ministries/Departments which have already formulated SCP & TSP, and other Ministries/Deptts. which have not formulated SCP and TSP so far but can formulate the same are insisted to take adequate steps to formulate TSP as per the guidelines on the matter.

Recently the Planning Commission has been requested to conduct the evoluation study of the SCP for SCs and the ITDP for STs in major Tribal States.

उर्वरक उद्योगों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई गई सामग्रियां

972. **श्री एस. एस. सुरजेवाला:**
श्री अजीत जोगी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में उर्वरक उद्योगों को रियायती दरों पर कौन-कौन सी सामग्री उपलब्ध कराई गई है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के उर्वरक उद्योगों के लिए वर्ष-वार कितनी-कितनी विशेष वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में उर्वरक संयंत्रों द्वारा उर्वरकों का वर्ष-वार और एकक-वार कुल कितना उत्पादन किया गया?